छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | सप्तम् सत्र | अंक-5

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 26, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नकाल शुरू होते ही माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह का नाम पुकारे जाने के तत्काल बाद श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बैनर-पोस्टर लगाकर सदन में आने पर आपत्ति की । जिस पर माननीय अध्यक्ष ने परम्पराओं एवं पूर्व व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए, सदन में बैनर-पोस्टर लगाकर आने को उचित न मानते हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि बैनर-पोस्टर उतारकर कार्यवाही में भाग लें।

(लगातार व्यवधान होने के कारण सभा की कार्यवाही 11.08 बजे, स्थगित की जाकर 11.21 बजे, समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य द्वारा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बैनर-पोस्टर लगाकर सदन में उपस्थित रहने पर पुन: आपत्ति लिये जाने एवं व्यवधान के मध्य माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों द्वारा कही गई बातों को रिकार्ड में न लिये जाने की घोषणा की एवं कथन किया कि एक बार आसंदी से व्यवस्था आ गई है कि आप प्रश्नकाल

बाधित न करें, प्रश्नकाल सबसे बहुमूल्य समय होता है। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों को सदन से बाहर पोस्टर निकालकर फिर सदन में आने का आग्रह करते हुए, कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की।

(सभा की कार्यवाही 11.23 बजे, स्थगित की जाकर 11.36 बजे, समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये गए।)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पोस्टर लगाकर पुन: सदन में प्रवेश करने एवं लगातार व्यवधान होने पर सभा की कार्यवाही 11.39 बजे स्थगित की जाकर 12.11 बजे, समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

2.पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने जांच एजेंसियों के दुरूपयोग संबंधी विषय पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कथन किया कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो ही नहीं सकती।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- माननीय डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को मैंने देखा और परीक्षण के उपरांत इसे अपने कक्ष में ही अग्राहय कर दिया है, इसलिए इसमें चर्चा संभव नहीं है।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गए।)

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- आप सबसे बार-बार आग्रह है कि सदन को चलाने में आपका सहयोग चाहिये। इस प्रकार आप लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सदन के कामों में व्यवधान डाल रहे हैं, आपको मैंने पहले ही सूचित कर दिया था कि आपने जो स्थगन दिया था, वह अग्राहय कर दिया है। अब सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में आप सबका सहयोग

चाहिए। इस सदन में इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, यह अपेक्षा आप से नहीं है। आप स्पीकर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सदन की कार्यवाही और प्रक्रिया के सम्मान को जानते हैं। इसके बाद भी इस प्रकार का व्यवहार, मैं उचित नहीं मानता। इसलिए सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि- आसंदी का आदेश शिरोधार्य है, लेकिन ट्रेजरी बेंच से आग्रह है कि अगर आपको लोकतंत्र में विश्वास है तो हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसको आप स्वीकार करिये।

4. व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि क्या केन्द्र शासन की केन्द्रीय जांच एजेंसी के विषय में भारत के किसी केन्द्र में कोई घटना घटती है, तो क्या उसकी चर्चा विधान सभा में हो सकती है ? दूसरी बात, जब आपने व्यवस्था दे दी है, अपने कक्ष में स्थगन को अस्वीकार कर दिया है तो उसके बाद माननीय भूपेश बघेल जी या कांग्रेस के सम्माननीय सदस्यों द्वारा उसी विषय पर किन नियम प्रकियाओं के तहत फिर से भाषण हो रहा है, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि मैंने पहले भी व्यवस्था दी है, स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था स्पष्ट हो गयी है कि इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। भारत शासन के विषय पर विधानसभा में चर्चा संभव नहीं है, इसलिए मैंने चर्चा की अनुमति नहीं दी है।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025, प्रतिवेदन संख्या 06 ,

(2) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 115 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(1) एफ 10-7/2019/16, दिनांक 10 मई, 2023 एवं

(ii) रूल-5/39/2025-लेबर, दिनांक 19 अगस्त, 2025,

(3) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2018) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक ईएसटीबी/4762/2025-लेबर, दिनांक 25 सितम्बर, 2025, तथा

(4) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल-503/12/2025-लेबर, दिनांक 11 सितम्बर, 2025,

पटल पर रखे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये गये।)

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेंड़िया, उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, देवेन्द्र यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूल सिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री संदीप साहू, इन्द्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज की कार्यसूची में 47 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22(6) के तहत शामिल किया गया है । इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

8. निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

9. ध्यानाकर्षण सूचना(क्रमशः)

(1) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य (अनुपस्थित - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।)

(2) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, सदस्य ने राज्य के प्रतिभावान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उचित सम्मान, प्रोत्साहन राशि नहीं दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (खेलकूद एवं युवा कल्याण) का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (खेलकूद एवं युवा कल्याण) ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- प्रश्नकाल आप सभी माननीय सदस्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसके माध्यम से आप सभी माननीय सदस्य स्वयं के क्षेत्र की और प्रदेश की जनता के हितों के लिए ज्वलंत प्रश्नों पर शासन से इसकी जानकारी प्राप्त कर अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं एवं लोकहित में प्रदेश के कल्याण के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नकाल का एक-एक मिनट का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। आप माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर तैयार करने में शासन का लोकधन, श्रम व्यय होता है तथा इन सभी प्रश्नों में वस्तुतः लोकहित ही समाहित है, और प्रतिपक्ष द्वारा इस प्रकार प्रश्नकाल को बाधित करने से आप एक प्रकार से लोकहित के प्रश्नों पर, पूरक प्रश्नों के उत्तर आने को अनचाहा रोक रहे हैं, जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। वस्तुतः प्रश्नकाल को बाधित करना अपने क्षेत्र, प्रदेश की जनता व अन्य माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन है और उसके साथ इसे अन्याय स्वरूप मानता हूं। आसंदी के निर्देश की अवहेलना करना, जानबूझकर सभा की कार्यवाही को बाधित करना और वह भी, जबकि प्रतिपक्ष के सदस्यों में संवैधानिक पदों पर पूर्व विद्वान सदस्य सम्मिलित हैं, सर्वथा अनुचित है। मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रश्नकाल अपने दलीय हितों व नीति के समर्थन स्वरूप कार्य के लिए कदापि नहीं है। अतः मैं प्रश्नकाल को बाधित करने वाले सदस्यों की निंदा करता हूं, इसे किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा है कि वे सभा की प्रक्रियाओं और संसदीय व्यवस्थाओं का पालन एवं सम्मान करें। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सभा की मर्यादा का आज जितना सम्मान या पालन किया है, यह उनके चिंतन का विषय है, मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। प्रतिपक्ष के सदस्यों में पूर्व वरिष्ठ पदों पर रहे, कार्य कर चुके अनुभवी, संसदविद् और प्रक्रियाओं के जानकार सदस्य हैं, फिर भी इस तरह से सदन की कार्यवाही को बाधित करना किसी दृष्टिकोण से संसदीय प्रक्रियाओं के अनुकूल नहीं है। प्रतिपक्ष के सदस्यों को अपने संसदीय आचरण पर स्वयं चिंतन करना चाहिए।

11. ध्यानाकर्षण सूचना(क्रमश:)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (47) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जाएंगे । सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा ।

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

(4) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

(5) श्री अजय चन्द्राकर

(6) डॉ. चरणदास महंत

(7) श्री विक्रम मंडावी

(8) श्रीमती शेषराज हरवंश

(9) डॉ. चरणदास महंत

(10) श्री विक्रम मंडावी

(11) श्रीमती अंबिका मरकाम

(12) श्रीमती चातुरी नन्द

(13) श्री राजेश मूणत

(14) श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री द्‌वारिकाधीश यादव, ओंकार साहू

(15) डॉ. चरणदास महंत

(16) श्री ब्यास कश्यप

(17) श्री भोलाराम साहू

(18) श्री भोलाराम साहू

(19) श्री चैतराम अटामी

(20) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी

(21) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(22) श्री लखेश्वर बघेल

(23) श्रीमती चातुरी नन्द

(24) श्रीमती शेषराज हरवंश, फूलसिंह राठिया

(25) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी

(26) श्री देवेन्द्र यादव

(27) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम

(28) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम

(29) श्री सुशांत शुक्ला

(30) श्री नीलकंठ टेकाम

(31) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम

(32) श्री चैतराम अटामी

(33) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

(34) सर्वश्री विक्रम मंडावी, लखेश्वर बघेल

(35) श्री लखेश्वर बघेल

(36) श्री लालजीत सिंह राठिया

(37) श्री दिलीप लहरिया

(38) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(39) श्री पुरन्दर मिश्रा

(40) श्री पुन्नूलाल मोहले

(41) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

(42) श्री धरमलाल कौशिक

(43) श्री धरमलाल कौशिक

(44) श्री रोहित साहू

(45) डॉ. चरणदास महंत

(46) श्री ब्यास कश्यप

(47) श्री विनायक गोयल

12. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज मैंने सदन में 17 सूचनाएँ लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। ये सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेगें।

1. श्री रोहित साहू (2 सूचनाएं)
2. श्री रिकेश सेन
3. श्री दिलीप लहरिया (4 सूचनाएं)
4. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे
5. डॉ. चरणदास महंत
6. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

7. श्री देवेन्द्र यादव
8. श्री ईश्वर साहू
9. श्री अजय चंद्राकर
10. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
11. श्रीमती अनिला भेंडिया
12. श्री द्वारिकाधीश यादव
13. श्री अटल श्रीवास्तव

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानवीय अध्यक्ष की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री रोहित साहू
(2) श्री अनुज शर्मा
(3) श्री ओंकार साहू
(4) श्री दलेश्वर साहू
(5) श्री रिकेश सेन

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025)

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अनुज शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रोहित साहू, श्रीमती रायमुनी भगत

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

15. सदन को सूचना

(1) माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है । भोजन की व्यवस्था माननीय श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

(2) माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि रजत जयंती के अवसर पर प्रकाशित, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विमोचित स्मारिका "उत्कर्ष" का वितरण माननीय सदस्यों को खानेदार आलमारी से किया जा रहा है। समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त साहित्य की प्रति प्राप्त करें।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025)

श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री सुशांत शुक्ला, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा,

श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025)

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री नीलकंठ टेकाम,

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते,

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025 पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

बुधवार, 17 दिसम्बर, 2025

17. अशासकीय संकल्प

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में पद क्रमांक- 6 में सम्मिलित अशासकीय संकल्प को आगामी सत्र में लिये जाने की घोषणा की।

18. नियम- 167 (1) के अन्तर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य, श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा द्वारा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 04/2025 दिनांक 17.11.2025 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

19. स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि हेतु निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 की शेष अवधि के लिए निर्वाचन हेतु एक सदस्य के नाम का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अत: मैं श्री सुनील कुमार सोनी को उक्त समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं।

20. राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष का उद्‌बोधन

आज इस सदन के लिए ऐतिहासिक दिन है। जो इस सदन में हमेशा-हमेशा के लिए याद किया जायेगा। उस दौर की बात और आज हम छत्तीसगढ़ की विधान सभा की इस चर्चा में "वन्दे मातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब मैं "वन्दे मातरम्" की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय समाज में इस गीत के प्रभाव का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूंगा।

माननीय सदस्यगण "वन्दे मातरम्" केवल एक गीत नहीं है, स्वतंत्रता आन्दोलन की ऊर्जा है। आजादी की लड़ाई में सेनानियों की प्रेरणा और राष्ट्र प्रेम की भावना के संचार का माध्यम भी रहा है। 1870 के दशक में महान् साहित्यकार बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित

गीत को 1882 में आनन्द मठ में स्थान मिला। 20 वीं सदी की शुरूआत में यह गीत आजादी की आशा रखने वाले हम भारतवासियों की आवाज बन गया। "वन्दे मातरम्" का जन्म एक सांस्कृतिक संघर्ष के लिए हुआ। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश शासन ने भारत में घर-घर अपना राष्ट्र गान गॉड द सेव को थोपने का प्रयास किया तब बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने उनके समक्ष "वन्दे मातरम्" के माध्यम से भारत की अस्मिता, भारत के गौरव को संरक्षित करने का काम किया। वर्ष 1896 में गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में "वन्दे मातरम्" गाया। यह "वन्दे मातरम्" के प्रति गुरूदेव का प्रेम था, लेकिन इसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंग-भंग की विभीषिका को आप जानते हैं, उसके पीछे के षड्यंत्र को जानते हैं उसके पीछे अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल को जानते हैं । इस देश को विभाजित करने के लिए साम्प्रदायिक आधार पर देश को आजादी के पहले ही विखण्डित कर देने का सपना अंग्रेजों ने देखा था और बंग-भंग के 1905 के बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ तो देश को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक खतरनाक प्रयोग किया। लेकिन उस समय "वन्दे मातरम्" इस विभाजनकारी योजनाओं के बीच चट्टान की तरह खड़ा रहा। जब "वन्दे मातरम्" हर भारतीय की जुबान बनने लगा तब ब्रिटिश हुकूमत ने इस गीत से जागृत होती राष्ट्र प्रेम की भावना को समझकर 1905 से 1908 के बीच प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं उन अमर बलिदानियों को स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस गीत से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में भाग लिया और अपने प्राणों को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। उन अमर शहीदों को याद करने का अवसर है । शहीद खुदीराम बोस, शहीद मदनलाल ढिंगरा, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जैसे सैकड़ों अमर शहीदों ने उन अंतिम क्षणों में "वन्दे मातरम्" का उद्‌घोष करते हुए हंसते-हंसते देश के लिए अपना बलिदान दिया। यह देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्र की चेतना और आत्मा के इस गीत "वन्दे मातरम्" के जब 50 वर्ष पूरे हुए तब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। जब "वन्दे मातरम्" के 100 साल पूरे हुए, आपातकाल थोपा गया था। लेकिन आज 150 वर्ष पूरे होने पर देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार है । यह देश का सौभाग्य है कि जहां पर राष्ट्रगीत को गौरव के साथ चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं । गांव-गांव तक, गली-गली तक जोश के साथ, उत्साह के साथ, पूरी चेतना के साथ इस वंदे मातरम् को दोहराने का काम हो रहा है । मुझे लगता है कि अपने इतिहास पर गौरव करने के साथ-साथ यह चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि आज हम नये युग, नये भारत की ओर बढ़ रहे हैं । जिस तरह वंदे मातरम् ने 1870 के दशक में स्वचेतना, स्वतंत्रता, स्वाधीनता की भावना को भारत भूमि में प्रसारित किया, आज पुन: एक नव-भारत के निर्माण में एक राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रगीत के लिए स्व

जागरण की आवश्यकता है और यह स्व जागरण तब संभव होगा, जब भारत के नागरिकों के बीच हम इस धरती की तरफ से अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्त्तव्यबोध से परिचित होंगे । आज भारत में कोई बाहरी ताकत नहीं है, लेकिन इस नव भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ाते हुए वैश्विक पटल पर एक नये आयाम स्थापित करना है । आज माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, बल्कि अपनी विस्मृत संस्कृति, अपने गौरव को पुन: स्थापित करने में लगा हुआ है । आज का यह दिन हमारे विधान सभा के लिए एक अवसर है । हम राष्ट्र की चेतना के पुन: जागरण में सम्मिलित हों, यह अवसर है, जब हम अपनी संस्कृति, गौरव को पुन: स्थापित करने का प्रयास करें । यह अवसर है, जब एक स्वर से एकत्रित होकर नवभारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें और वंदे मातरम् को जिस भावना के साथ हमारे पूर्वजों ने प्रेरित किया, उसी को हम आत्मसात करें ।

मैं आप सभी सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि आज वंदे मातरम् की यह चर्चा राजनीतिक शिष्टता के अनुरूप छत्तीसगढ़ की विधान सभा में सकारात्मक संवाद स्थापित करेगा । आप सभी सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि आज की चर्चा महत्वपूर्ण चर्चा है । सभी सदस्य इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी भावना को प्रकट करें, बात करें और इस चर्चा को शुरू करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी से आग्रह करूंगा ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवेन्द्र यादव, विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, राघवेन्द्र कुमार सिंह, किरण देव,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विक्रम मण्डावी, राम विचार नेताम, कृषि मंत्री, श्रीमती संगीता सिन्हा

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

श्री राजेश अग्रवाल, पर्यटन मंत्री, श्रीमती चातुरी नंद, श्री अजय चन्द्राकर

(माननीय सभापति महोदया ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पदक्रम क्रमांक 7 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री ब्यास कश्यप, धरमलाल कौशिक, कुंवर सिंह निषाद, धर्मजीत सिंह, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री सुशांत शुक्ला

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री रामकुमार यादव, श्रीमती गोमती साय, श्रीमती भावना बोहरा, श्री अनुज शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रायमुनी भगत,

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने विचार व्यक्त किये ।

21. नवीन विधान सभा भवन के गरिमा के अनुरूप कार्य एवं विधान सभा सचिवालय की आवश्यकताओं पर विचार कर आवश्यक सुझाव देने हेतु समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार दिनांक 14 दिसम्बर, 2025 को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एवं तत्संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य सदस्यों से प्राप्त सुझावों के तारतम्य में नवीन विधान सभा भवन की गरिमा के अनुरूप कार्य कराने विधान सभा सचिवालय की आवश्यकताओं के संबंध में विचार कर तत्संबंध में सुझाव दिए जाने हेतु मैं निम्नानुसार विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन करता हूं :-

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. श्री अजय चन्द्राकर
3. श्री धर्मजीत सिंह
4. श्रीमती भावना बोहरा
5. श्रीमती संगीता सिन्हा
6. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

श्री धरमलाल कौशिक इस समिति के सभापति होंगे।

22. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

षष्ठम विधान सभा के सप्तम सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है और मुझे लगता है कि किसी भी सत्र में किसी कार्य दिवस के अंतिम समय में इतना पवित्र कार्य नहीं हुआ होगा। मैं समझता हूं कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आज के दिन आप सब लोगों ने बहुत ही भावना के साथ, तथ्यों के साथ, विचारों के साथ और उस गरिमा के अनुरूप वंदे मातरम् के बारे में अपनी भावना व्यक्त की। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। यह सत्र 18 नवम्बर से 17 दिसम्बर तक आहूत रहा। इसमें कुल 5 बैठकें सम्पन्न हुईं। यह सत्र अन्य की तुलना में सदैव अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जायेगा। इस सत्र के प्रथम दिवस दिनांक 18 नवंबर, 2025 को पुराने विधान सभा भवन में छत्तीसगढ़ विधान सभा की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर केंद्रित चर्चा हुई । यह कार्य दिवस हम सबको भावुक करने वाला था, क्योंकि हम सब की स्मृतियां उस भवन से जुड़ी हुई थी। आप सभी ने अपनी भावनाओं से इस चर्चा को समृद्ध बनाया। इस सत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सत्र का दूसरा कार्य दिवस रविवार 14 दिसंबर, 2025 को नवीन विधान सभा भवन में आरंभ हुआ, किसी विधान सभा का एक सत्र दो भवनों में संपन्न हो इस दुलर्भ संयोग के साक्षी होने का अवसर हम सब को प्राप्त हुआ। मैं यह बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा का जब-जब भी इतिहास पढ़ा जायेगा, तब-तब षष्ठम विधान सभा के इस सप्तम सत्र का उल्लेख आवश्यक रूप से होगा। इस सदन में आप और सभी इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम से जुड़ गये हैं। यह हम सब के लिए उपलब्धि है। भविष्य के निर्धारण के लिये वर्तमान का विमर्श अत्यंत आवश्यक होता है और इस बात को ही ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा में अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर छत्तीसगढ़ के भविष्य पर केंद्रित विषय “अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047” की सम्यक,

सार्थक चर्चा हुई। चर्चा के सभी प्रतिभागी सदस्यगणों और सहभागी सदस्यगणों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। हम सभी अवगत हैं कि शीतकालीन सत्र सामान्य तौर पर अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा सत्र होता है, इसलिए ज्यादातर विषयों को हम चाहकर भी शामिल नहीं कर पाते हैं। बावजूद इसके इस सत्र में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने उपयोगी चर्चा को मूर्त स्वरूप दिया। इस सत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय कार्य भी था, जिसे हमने अनुपूरक के माध्यम से पूर्ण किया। इसके अतिरिक्त आज हम सब गौरवशाली क्षणों के साक्षी व भाग बने, जब आज की सभा में राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखकर एवं चर्चा का हिस्सा बनकर छत्तीसगढ़ की विधान सभा में गौरवशाली स्थान दर्ज किया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह सत्र सार्थक सफल और ऐतिहासिक रहा।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के षष्ठम् विधान सभा के सप्तम सत्र के अंतिम दिवस पर सफलतापूर्वक सत्र संपन्न होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, हमारे सभी मंत्रिगण, पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी विधायकगणों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे अधिकतम सहयोग प्रदान दिया।

इस सत्र में आप नवीन भवन में स्थानांतरित हुए। नए वातावरण, नई सुविधाएं, नए संसाधन अर्थात् सब कुछ नया-नया ही रहा। नए वर्ष के पूर्व आपके जीवन में घटित यह सभी नवीन घटनाएं आप सभी को सुखद अनुभव प्रदान करने वाली बने, मेरी ऐसी अभिलाषा है। एक अनुरोध यह भी है कि नवीन भवन में व्यवस्था की दृष्टि से विधान सभा सचिवालय द्वारा भरपूर कोशिश की गयी, बावजूद इसके कुछ जगहों पर, जहां व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं तो कृपया अपनी प्रतिक्रियाओं से विधान सभा सचिवालय को लिखित रूप से अवगत अवश्य करायें, जिससे आगामी बजट सत्र में आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विधान सभा भवन का स्थानांतरण एक जटिल प्रक्रिया है। मैं विधान सभा सचिव, श्री दिनेश शर्मा के साथ-साथ समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं कि आपने निर्धारित समय में न केवल विधान सभा भवन को स्थानांतरित किया, बल्कि सभी व्यवस्थाएं विधान सभा की गरिमा के अनुरूप करने का कार्य किया। इस कार्य में लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनके इस सहयोग के लिए मैं उनकी भी मुक्त कंठ से सराहना करता हूं। इस अवसर पर नवीन विधान सभा भवन के निर्माण में जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर, सब इंजीनियर, सुपरवाईजर, राज मिस्त्री और मजदूरों का भी अभिनंदन

करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि इस भवन में आपका परिश्रम और पहचान सदैव शास्वत बनी रहेगी।

अब मैं आपको इस शीतकालीन सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्य की संक्षेप सांख्यिकीय आकड़ों से अवगत कराऊंगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकों में 35 घण्टे, 23 मिनट रात्रि कालीन 8.00 बजे तक और आज भी करीब-करीब 7.50 बजे तक चर्चा हुई। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की संख्या 333 एवं अतारांकित प्रश्नों की संख्या 295, इस प्रकार कुल 628 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 11 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। ध्यानाकर्षण की कुल 232 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 70 सूचनाएं ग्राहय हुई और 20 सूचनाएं शून्यकाल में परिवर्तित की गयी। स्थगन की कुल 101 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में माननीय सदस्यगणों द्वारा 195 याचिकायें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 36 याचिकायें ग्राहय हुईं। मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता के साथ प्रचार माध्यमों में प्रमुखता के साथ स्थान देकर जनता को संपादित कार्यवाही से अवगत कराया।

कल का दिन हम छत्तीसगढ़वासियों के लिये ही नहीं, बल्कि सभी के लिये एक महत्वपूर्ण दिन है। कल 18 दिसंबर है। पूज्य बाबा गुरू घासीदास जी की जयंती है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को पूज्य बाबा गुरू घासीदास जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि बाबा जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे छत्तीसगढ़ पर सदैव बनी रहे।

इस सत्र के समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जो पूरे समय सदन में उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र में कायम रखी। मैं विधान सभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण कुशलता और निष्ठा के साथ किया। परंपरा के अनुसार सत्र के समापन के अवसर पर आगामी सत्रों की संभावित तिथि घोषित की जाती है। तद्नुसार आगामी सत्र, जो बजट सत्र होगा, जिसकी तिथि माह फरवरी के अंतिम सप्ताह एवं मार्च 2026 में संभावित है। मैं आप सभी एवं प्रदेशवासियों को आगामी आने वाले नववर्ष की बधाई देता हूं और उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं।

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री एवं डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने भी उद्गार व्यक्त किये।

23. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

रात्रि 7.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा